निर्णय ब इजलास अन्तर सिंह नेहरा आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर

प्रकरण संख्या 37/2021 (मुन्तकिल प्रार्थना पत्र)

श्रवण पुत्र जगदीश जाति जाट निवासी राजारामपुरा तहसील आमेर जिला जयपुर ।

प्रार्थी

बनाम

1. श्रीमती अपर्णा शर्मा आरएएस पीठासीन अधिकारी सहायक कलक्टर आमेर, जिला जयपुर।
2. ग्यारसी पुत्र जगदीश जाति जाट
3. विमल पुत्र जगदीश जाति जाट
4. गुलाब देवी पत्नी जगदीश जाति जाट
5. रामकिशोर पुत्र भैरू जाति जाट
6. चौथमल पुत्र भैरू ज जाति जाट
7. सुन्दर देवी पत्नी भैरू जाति जाट

   समस्त जाति जाट निवासी राजारामपुरा तहसील आमेर जिला जयपुर ।
8. श्रीराम उर्फ सीताराम पुत्र मुखालाल जाति महाजन निवासी जयपुर चौकडी हवामहल गैटोर, ब्रहमपुरी, जयपुर ।
9. गोपाल पुत्र लक्ष्मण जाति जाट निवासी राजारामपुरा, तहसील आमेर, जिला जयपुर ।
10. राजेश कुमार पुत्र ताराचन्द जाति जाट निवासी ग्राम ढाढोत कला, सूबेदारों की ढाणी, बुहाना, जिला झुन्झुनू ।
11. सूरजमल पुत्र लक्ष्मण जाति जाट निवासी राजारामपुरा, तहसील आमेर, जिला जयपुर (फौत)
12. डॉ॰ शैलेन्द्र सिंह पुत्र डॉ॰ बहादुर सिंह सोलंकी जाति राजपूत, निवासी जी–15, जनपथ श्याम नगर जयपुर ।
13. सागरमल पुत्र घासीलाल जाति महाजन निवासी ग्राम अगतपुरा, तहसील आमेर, जिला जयपुर।
14. रजवण पुत्री गणपत राम जाति जाट निवासी ग्राम डीघलों की ढाणी, तहसील खेतडी, जिला झुन्झुनू ।
15. रामेश्वर पुत्र माना जाति मीना निवासी ग्राम राजारामपुरा, तहसील आमेर, जिला जयपुर ।
16. विपिन बिहारी झालाणी पुत्र जगदीश नारायण झालानी जाति महाजन निवासी बी–49, गणेश मार्ग, बापू नगर, जयपुर ।
17. वैभव पुत्र रमेश कुमार मधोक जाति खत्री निवासी 45 उनियाना गार्डन, जयपुर ।
18. पी॰डी॰ सिंह पुत्र नारायण सिंह राठौड जाति राजपूत निवासी ए–10, शास्त्री नगर जयपुर ।
19. अर्चना पत्नी नवल किशोर डंगायच जाति महाजन निवासी प्लाट नं॰ ए–43, रामनगर, शास्त्री नगर, जयपुर।
20. गीता देवी पत्नी जुगल किशोर डंगायच जाति महाजन निवासी प्लाट नं॰ ए–43, रामनगर, शास्त्री नगर, जयपुर।
21. स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर (एस बी आई) बैंक जरिये शाखा प्रबन्धक शाखा चौमू जयपुर।

जिला कलक्टर
जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

22. यूको बैंक जरिये शाखा प्रबन्धक, शाखा चौमू ,जयपुर ।
23. कोटक महिन्द्रा बैंक जरिये शाखा प्रबन्धक शाखा जयपुर।
24. सरकार जरिये तहसीलदार आमेर, जिला जयपुर ।

अप्रार्थीगण

मुन्तकिल प्रार्थना पत्र बाबत सहायक कलक्टर आमेर के समक्ष विचाराधीन प्रकरण संख्या 15/2020 ब उनवानी श्रवण बनाम ग्यारसी लाल व अन्य को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने बाबत।

उपस्थितः–

1. श्री राजकुमार गठाला अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से ।
2. श्री एन॰ के॰ यादव अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 17 की ओर से ।

निर्णय दिनांक 23.02.2021

1. संक्षेप में मुन्तकिल प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि सहायक कलक्टर आमेर के समक्ष प्रकरण संख्या 15/2020 ब उनवानी श्रवण बनाम ग्यारसी लाल व अन्य विचाराधीन है। जिसमें पीठासीन अधिकारी से न्याय मिलने में शंका जाहिर कर उक्त प्रकरण को अन्यत्र संक्षम न्यायालय में अन्तरण किये जाने का अनुरोध किया है।
2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। सहायक कलक्टर आमेर से बिन्दूवार टिप्पणी तलब की गई। अप्रार्थी संख्या 17 की ओर से अधिवक्ता श्री एन॰के॰ यादव उपस्थित है। अप्रार्थी संख्या 19 व 20 के अधिवक्ता उपस्थित है।
3. बहस उभय पक्ष सुनी गई।
4. प्रार्थी अधिवक्ता ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया अप्रार्थीगण द्वारा आदेश 7 नियम 11 यरीपीयी के अलग अलग प्राािना पत्र प्रस्तुत किये है प्रबतिवादी संख्या 11 व 17 के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र की प्रति प्रार्थी को दिनांक 09.02. 2021 को दे दी गई जिस पर प्रार्थी द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र के जबाब हेतु 10 दिवस में का समय मांगा गया लेकिन अधीनस्थ न्यायाल द्वारा प्रार्थी को समय नहीं दियाजा कर पत्रखवली को दिनांक 11.02.2021 को वास्ते अन्तिम बहसह`तु नियत करदी । प्रतिवादी संख्या 10 सुरजमल के फोत हो जाने पर उसके कायम मुका की कार्यवाही अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचाराधी थी जिसमें अधीनसथ न्यायलय द्वारा दिनांक 09.02.2021 को मायम मुका का प्राािना पत्रखारिज कर दिया गया। जिस पर प्रार्थी द्वारा निरानी हेतु समय चाहा गया लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने निगरानी के लिये प्रार्थी को समय नही दिसयराजा कर वास्ते अन्तिम बहस हेतु नियत कर दी गई तथा प्रार्थी को न्यायालयम` धमकी दी कि आप या तो दिनांक 11.02.2021 को बहस करो या मत करो मै आपके दावे

जिला मजिस्ट्रेट (कलक्टर) जयपुर

को खारिज करूंगी। अधीनस्थ न्यायायल की उक्त सम्पूर्ण कार्यवाही से प्रार्थी को अन्देशा हो गया कि प्रार्थी को उक्त न्यायालय से निष्पक्ष एवं पारदर्शी न्याय मिलने की उम्मीद कतई नही है। अप्रार्थी संख्या 1 उक्त प्रकरण में आवश्यक रूची लेकर कार्यवाही कर रहे है तथा नजदीकी तारीख पेशी नियत कर रहे है तथा प्रार्थी द्वारा प्रकरण में आदेश 7 नियम 11 के जबाब हेतु समय चाहने पर समय नहीं दिया जा रहा। जिस कारण प्रार्थी को अप्रार्थी संख्या 1 से न्याय की उम्मीद नहीं है। अतः उक्त उनवानी प्रकरण को अन्य सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने का आदेश फरमावें।

5. अप्रार्थी अधिवक्ता ने उक्त तर्को का खण्डन करते हुये दलील प्रस्तुत की कि प्रार्थी ने अपने पक्ष में स्थगन आदेश प्राप्त कर रखा है। प्रकरण का निस्तारण नहीं होने देना चाहते है। इसलिए प्रकरण के निस्तारण में विलम्ब किये जाने की मन्शा से यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पेश किया है जो काबिल खारिज किये जाने योग्य है। यदि फिर भी अन्यत्र न्यायालय में प्रकरण का स्थानान्तरण किया जाता है तो एक तारीख निश्चित करके अन्य किसी भी न्यायालय में स्थानान्तरण कर दिया जावे।

6. उभय पक्ष के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।

7. प्रार्थी ने पीठासीन अधिकारी से न्याय प्राप्त होने पर शंका जाहिर की है। सहायक कलक्टर आमेर से बिन्दूवार टिप्पणी तलब की गई, किन्तु प्राप्त नही हुई। प्रार्थी ने पीठासीन अधिकारी से न्याय मिलने में शंका जाहिर की है। न्याय का नैसर्गिक सिद्वान्त है कि न्याय किया जाना ही आवश्यक नहीं है, बल्कि न्याय किया गया है, ऐसा लगना भी चाहिये। न्याय की इसी भावना को मध्यनजर रख कर मुन्तकिल प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रकरण अन्य न्यायालय में मुन्तकिल किया जाना न्याय संगत है। अप्रार्थी अधिवक्ता भी प्रकरण का अन्यत्र सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरण किये जाने पर सहमत है। जयपुर मुख्यालय पर सहायक कलक्टर जयपुर द्वितीय का मुख्यालय भी स्थापित है जिसमें इस प्रकरण को अन्तरित किया जा सकता है। इससे किसी पक्षकार को असुविधा भी नही होगी। फलस्वरूप मुन्तकिल प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

8. न्यायालय सहायक कलक्टर के समक्ष विचाराधीन प्रकरण संख्या 15/2020 ब उनवानी श्रवण बनाम ग्यारसी लाल व अन्य को सहायक कलक्टर जयपुर द्वितीय में मुन्तकिल किया जाता है।

9. पक्षकारान न्यायालय सहायक कलक्टर जयपुर द्वितीय के समक्ष सुनवाई हेतु दिनांक 16.03.2021 को उपस्थित हो। सहायक कलक्टर जयपुर द्वितीय प्रकरण दर्ज कर उभयपक्ष को गुणावगुण एवं मैरिट पर सुन कर निस्तारण करें।

10. निर्णय की प्रति पालनार्थ हस्ब कायदा न्यायालय सहायक कलक्टर आमेर व सहायक कलक्टर जयपुर द्वितीय को प्रेषित हो। पत्रावली नम्बर से कम हो कर शुमार फैसल हो।

11. निर्णय आज दिनांक 23.02.2021 को सरे इजलास सुनाया गया ।

23/2/21

(अन्तर सिंह नेहरा)
जिला मजिस्ट्रेट
कलक्टर) जयपुर